

विचार बिन्दु

सुंदर विचार जिनके साथ हैं। वे कभी एकांत में नहीं हैं। –सर पी. सिडनी

सर्दी-जुकाम और मौसमी बीमारियों में अपनाएं दादी-नानी के अनमोल नुस्खे

देश इस समय सर्दी, कोहरे और शीत लहर की चपेट में है। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कफ, कोल्ड, फ्लूवर, गले में खराश, खांसी, सिर में दर्द आदि समस्याएं होना आम बात है। इस समय घर घर में सर्दी और जुकाम का प्रकोप देखा सकता है। सर्दी के मौसम में वातावरण में नमी आ जाती है, जिससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि लोग इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान हो जाते हैं। दादी-नानी के ये नुस्खें अपनाने की जरूरत होती है जिनका शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है और बीमारी भी जड़ से समाप्त होती है। अंग्रेजी दवाओं के मकड़जाल से आम आदमी परेशान है। जिसे देखो अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागता मिलेगा। सामान्य बीमारियों से लेकर असाध्य बीमारियों की दवा आज घरों में मिल जाएगी। इलमें चिकित्सकों द्वारा लिखी दवाइयों के अलावा वे दवाइयां भी शामिल हैं जो मेडिकल स्टोरों से बीमारी बताकर खरीदी गई है अथवा गूगल से खोजकर निकाली गई है। ये दवाइयां असली है या घटिया अथवा नकली ये भी आम लोगों को मालूम नहीं है। घटिया दवाइयों का बाजार आजकल खूब फलफूल रहा है। आये दिन घटिया और नकली दवाइयां बरामद करने की खबरें मीडिया में सुर्खियों में पड़ने को मिल रही है। इन दवाइयों के सेवन से साधारण खांसी बुखार और जुकाम को ठीक होने में एक पखवाड़ा या महीना लग जाता है। इसी बीच दादी-नानी के नुस्खे सोशल मीडिया पर प्रचलित होने लगे हैं। आइये,आज हम आपको एक बार फिर दादी-नानी के नुस्खों की याद दिला रहे हैं। स्वस्थ रखने के लिए नानी-दादी के नुस्खे आज भी महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। अगर उनका पालन किया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। आज की भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से जाकर के अपनी दिक्कत बताकर के दवाइयां ले लेते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसी दिक्कतों के लिए दादी-नानी के नुस्खे आजमाएं जाते थे। ये बेहद कारगर भी होते थे। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है। दादी नानी ने इन बीमारियों का मुकाबला करने के लिए हमें योग, साधना, देशी चिकित्सा और प्रकृति से मित्रता का सन्देश दिया था। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने हमें दादी-नानी के नुस्खों से दूर कर दिया। बाज़ार में भले ही कई दवाएँ मिलती हों, लेकिन भारतीय परिवारों में दादी-नानी के घरेलू नुस्खे पीढ़ियों से बच्चों को राहत देने के लिए अपनाए जाते रहे हैं। दादी-नानी के नुस्खे कारगर माने जाते हैं। ये घरेलू उपाय न सिर्फ आसान हैं, बल्कि शरीर को प्राकृतिक तरीके से राहत भी देते हैं।

मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए दादी-नानी के नुस्खे चमत्कारिक रूप से काम करते हैं और बहुत जल्दी आराम देते हैं। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पाचन सुधरता है और शरीर गर्म हल्दी वाला दूध हो या नमक मिले गरम पानी के गरारे जुकाम और गले दर्द में दोनों ही कारगर इलाज हैं। अदरक को पानी में उबालकर और फिर शहद के साथ खाया जाए तो यह कफ, गले में खराश और गला खराब होने की दिक्कत से छुटकारा दिला सकती हैं। अदरक को शहद के साथ खाने से गले में होने वाली सूजन और जलन में भी राहत मिलती है। इसी भांति अजवायन, लौंग, काली मिर्च, तुलसी गिलाय, मलेठीयुक्त पान, शहद, दालचीनी आदि के नुस्खे भी संजीवनी साबित हुए हैं। हल्दी एक महत्वपूर्ण औषधि है, जिसका इस्तेमाल हमारी रसोई में खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। वहीं कुछ लोग घाव लगने पर हल्दी की पट्टी भी करते हैं, जो वैज्ञानिक नजरिए से भी सही है। एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर हल्दी घाव भरने में मदद करती है। उल्टा लेटकर ओक्सीजन प्राप्त करने के नुस्खे को एलोपैथी की मान्यता मिली है। यही नहीं इनमें से ज्यादातर नुस्खों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लोग खांसी से राहत पाने के लिए तरह-तरह के घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। उन्हीं में से एक नुस्खा गर्म पानी की भाप का भी है। गर्म पानी की भाप हमारे शरीर में जमी बलगम को हल्का करने के साथ ही स्वास नलिका को आराम देने का काम करती है। अगर आपको खांसी आती है तो आप 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी की भाप लें। इससे गले को राहत मिलेगी और खांसी दूर होगी। दादी-नानी का यह नुस्खा कारगर होगा। विशेषज्ञ कहते हैं, अगर सर्दी-खांसी तीन दिन से ज्यादा बनी रहे या बुखार के साथ बढ़े, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

दादी-नानी के नुस्खे शुरुआती लक्षणों में बेहद कारगर हैं, लेकिन लंबे समय तक राहत न मिले तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। दादी-नानी के ये पुराने नुस्खे आज भी उतने ही असरदार हैं। इन घरेलू और प्राकृतिक उपायों को अपनाकर हम न सिर्फ सर्दी-खांसी से बच सकते हैं बल्कि दवाइयों पर निर्भरता भी कम कर सकते हैं। असल में हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास ही होता है। कई बार उसके बारे में जानकारी नहीं होती और कई बार जानकारी होती है तो हम उस दिशा में प्रयास नहीं करते। प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। सचमुच प्रकृति, पर्यावरण और आयुर्वेद का अद्भुत संगम है। मानव जीवन के लिए तीनों कारकों के एकाकार होने की आज के समय महती जरूरत है। इससे प्रकृति को जहाँ साफ सुथरा रखा जा सकता है वहाँ पर्यावरण भी हमारे अनुकूल होगा जिससे आयुर्वेद को भी संरक्षित रखा जा सकेगा। जो मनुष्य प्रकृति के जितना अधिक अनुकूल है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वह व्यक्ति उतना ही अधिक निरापद एवं व्याधियों के आक्रमण से दूर होगा।

–अतिथि संपादक, बाल मुकुन्द ओझा, वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

राशिफल शुक्रवार 16 जनवरी, 2026			
माघ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र शनिवार प्रातः 8:12 तक, ध्रुव योग रात्रि 9:06 तक, गरकण प्रातः 9:19 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 5:48 से धनु राशि में संचार करेगा।			
गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-धनु, मंगल-मकर, बुध-धनु, गुरु-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह			
आज भद्रा रात्रि 10:22 से आरम्भ होगी। आज प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि, मेरु त्रयोदशी (जैन), श्री आदिनाथ निर्वाण दिवस है।			
श्रेष्ठ चौघड़िया: घर सूर्योदय से 8:40 तक, लाभ-अमृत 8:40 से 11:18 तक, शुभ 12:36 से 1:55 तक, चर 4:33 से सूर्यास्त तक।			
राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:51			
मेघ	सिंह	धनु	
मेघ: नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है।	व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों में निपटारा हो सकता है। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।	
वृष	कन्या	मकर	
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अशुभ भाव में शुभ नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। आज बतने कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।	घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।	
मिथुन	तुला	कुंभ	
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	व्यावसायिक कार्यों से संबंधित जालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।	आर्थिक/वित्तीय मामलों के जालें दिन अच्छा रहेगी। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।	
कर्क	वृश्चिक	मीन	
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित ख़ोत से घन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।	व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	

संपादकीय

राष्ट्रदूत अजमेर, 16 जनवरी, 2026

गांव की चौपाल की चर्चाएं -- संसद की चर्चाओं से कम नहीं

महावीर सिंह

घुमंतु अपने पुराने मित्र के साथ, एक बड़े गांव की चौपाल पर पहुंचा। शाम को दिन ढलने के बाद बहुत से ग्रामीण किसी ऐसे आदमी की पोली (बैठक) में एकत्र हो जाते हैं जहां हुक्के की व्यवस्था हो और अलाव जला कर तपने के लिए लकड़ियों की सुविधा हो। मित्र के साथ जब मैं पहुंचा तब 15,20 आदमियों की चौपाल जुड़ चुकी थी। उस वक्त उनकी चर्चा का विषय था बंगाल में एक जगह ईडी की रैड का। एक सदस्य का कहना था कि ममता बनर्जी ने ईडी के काम में दखल डाल के ठीक नहीं किया। दूसरे का मत था ममता बनर्जी अपने प्रदेश में होने वाले चुनाव की गोपनीय सूचनाएं वहां से लेकर आई हैं जिसका उसे पूरा अधिकार है। जो मामला ईडी बता रही है वह तो 5, 7 साल पुराना है। ईडी को अभी होने वाले चुनाव से ठीक पहले ही क्यों याद आया?

तीसरे सदस्य में कहा वहां तो दोनों पक्ष कोर्ट चले गए वहीं से सही गलत का फैसला होगा। कोई और बात करो। किंतु लगता है ईडी ने इस बार बर्ं के छत्ते में हाथ डाल दिया। एक भाई में कहा, देखो यह जो संस्थाएं है ईडी, सीबीआई आदि पर राजनीतिक आकाओं का दबाव तो हमेशा ही रहता है किंतु पहले इनका हर चुनाव चाहे राज्य का हो या फिर देश का इतना उपयोग/दुरुपयोग नहीं होता था। अब तो दिखने में आ रहा है कि हर सुनाव के 1,2,3 महीने पहले यह संस्थाएं अतिसक्रिय हो जाती हैं। लगता है सत्तासीनों को चहुं ओर अपनी ही विजय पताका दिखनी चाहिए।

चौपाल की चर्चा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। चर्चा शुरू हुई जीरामजी कानून पर। एक सदस्य का विचार था कि यह कानून तो केंद्र सरकार की मर्जी वाला कानून है। विपक्ष ने तो पुरजोर मांग की थी कि बिल को समीक्षा के लिए संसदीय समिति को सौंपा जाए किंतु बहुमत के अहंकार के आगे विपद की क्या बिसात। और नहीं तो जनता की ही राय ले लेते। अब काम कहां पर होंगे अर्थात जहां काम होंगे वह क्षेत्र, राज्य केंद्र सरकार तय करेगी। कौन से काम होंगे यह भी केंद्र सरकार तय करेगी और पहले 90 प्रतिशत खर्चा केंद्र सरकार से आता था अब वह घटा के 60 प्रतिशत कर दिया। यह सोचने की बात है कि कब

में डूबी अधिकांश राज्य सरकारों में से कितनी सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कितना बजट निकाल पाएंगी???? राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों की भूमिका तो लगभग शून्य सी हो गई। यह कोई अच्छी बात है क्या???

चर्चा आगे बढ़ी। एक नवयुवक में कहा मनरेगा में भ्रष्टाचार चरम बिंदु तक पहुंच गया था। शुद्धिकरण के लिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। तीसरे ने कहा हां, शुरू के 1, 2, 3 साल खूब भ्रष्टाचार था। काम मशीन से करवाते, मजदूरों का मस्टरोल भरते। मशीन को किराया चुकाने के बाद जो पैसा बचाता वह मजदूरों और ग्राम स्तर के अधिकारी, नेता बांट लेते थे। मस्टरोल में फर्जी हाजिरी लगती थी। ओर भी कई तरीके थे भ्रष्टाचार करने के किंतु पिछले 15 साल से तो बहुत सुधार हो गया था। मजदूरों सीधे बैंक खाते में जाती थी। रोजगार चाहने वालों के चयन, कामों के चयन का तरीका भी काफी हद तक पारदर्शी हो गया था।

मजदूरी भुगतान की रकम को किए गए काम से जोड़ा गया। डिजिटाइजेशन शुरू किया इसका श्रेय अब की सरकारों ले रही है। स्वर्गीय मन मोहन सिंह को किन किन गैर वाजिब उपाधियों से नहीं नवाजा गया। अब तो इसे खत्म करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं कहा जा सकता। चलते रस्ते यों ही गांधीजी का नाम हटाय़ा। इसका विरोध तो होगा किंतु शायद उतना असरदार शायद नहीं हो जितना, लगभग साल भर चले किसान आंदोलन का हुआ था। सरकार को कानून वापिस लेने पड़े यद्यपि कोमत के रूप में लगभग 700 किसानों की बलि हुई। आतंकवादी, खालिस्तानी, कुलक किसानों का आंदोलन जैसे विशेषणों से भी अत्यंत निंदनीय तरीकों से उन्हें नवाजा गया। एमएसपी के लिए कानून बना नहीं।

अच्छा होता यह जीरामजी कानून बनाने से पहले जनता की राय और भी संसदीय समिति की राय ले लेते। सरकार ज्यादा लोकतांत्रिक दिखती। खैर सरकारों का अपना अहंकार होता है, बहुमत होता है, कुछ भी कानून पास करा सकते हैं। फिर एक सदस्य ने राय व्यक्त कर दी कि विपक्ष का काम आलोचना करना होता है सो कर रहा है किंतु संसद में बहुमत का अर्थ ही यह है कि बनाए गए कानून जगहिति में है। विपक्ष ने तो नौटवंदी, लोकडाउन, मतदाता सूचियों के रिवीजन का भी घणा विरोध कर लिया, क्या निकला?? जनता ने चुनाव जीता कर उन फैसलों पर मोहर लगा दी है।

एक बुजुर्ग में राय व्यक्त की कि बहुमत सदा ही सही हो यह भी जरूरी नहीं। चुनाव तो कई दूसरे मुद्दों, तात्कालिक जन भावनाओं, सधन प्रचार अभियान और दूसरे पक्ष के साधनों पर तरह तरह के अंकुश लगा कर भी जीते जाते हैं। अभी तक चुप एक युवक में

कहा दादा बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह बताओ चुनाव के दौरान 5,10 हजार रुपए सीधे सीधे मतदाताओं के खते में डाल दें तो लोग प्रभावित नहीं होंगे???? उसका कहना था चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेहपूर्ण तो लगने लगी, हालांकि अपने कहने से कुछ होने वाला नहीं।

चर्चा घूमकर आगई देश के उच्च न्यायालयों, सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली और सारी न्याय व्यवस्था पर। एक बंधु में कहा, यह भी कोई बात हुई कि जो काम अत्यंत रूटीन में जिला व उसके नीचे के स्तर के कार्यालयों में होने चाहिए उनके लिए लोग इन बड़े न्यायालयों में जाते हैं या जाने को विवश हो जाते हैं। पिछले छैएक महीने से दिल्ली में आवारा कुत्तों को कौन रखे, कहां रखे, कैसे रखे इसी पर ही बहस चल रही है। उच्चतम स्तर से भी कोई क्लियर कट आदेश, निर्णय नहीं आया है। लगता है डॉग लवर्स बड़े-बड़े लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार बैठे रहते हैं। एक सज्जन में कहा छोट्टा सा आदेश जारी करना चाहिए --जो कोई पालतू कुत्ता रखे, वह सुनिश्चित करे कि कुत्ता सड़क, रास्ते में मलमूत्र नहीं करे। उसे अपने घर में स्त्र करिए और फिर घुमाए। आवारा कुत्तों को सड़क पर कोई व्यक्ति खाद्य सामग्री नहीं दे। आवारा कुत्तों के लिए गोशालाओं की तर्ज पर, कुत्ता घरों का सुजन हो। गोशालाओं के लिए बजट की पूर्ति के लिए किसानों पर लाग (टैक्स का ही रूप) लगा दी वैसे ही कुत्ता शालाओं के लिए भी आम आदमी को दंडित कर दो, कौन विरोध करने वाला है????

वैसे आवारा गाँवों, सांडों से गाँवों में किसान खासे परेशान हैं किंतु आस्था के आगे उनकी कौन सुने? सुप्रीम या उच्च न्यायालयों में कोई अर्जी पानडा लगाने के लिए मंहंगे वकील की फीस उनके बस की बात नहीं, सो दिन रात पहरा देकर बचाओ अपनी फसल। वैसे यह खर्चा की गणना में शामिल नहीं होता, घर से ही भुगतान होता है।

आश्चर्य की बात तो यह कि राजस्थान की विधान सभा ने कानून बनाया कि 3 साल के बछड़े की खरीद फरोख्त व परिवहन नहीं होगा। किसानों को इनको आवारा छोड़ना ही पड़ता है। शायद कानून बनाने वाले कृषि व ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े विधायक तो यह भली भांति समझते ही होंगे कि एक गैर उत्पादक बछड़े को पाला जाए तो कितना खर्चा प्रतिदिन किसान को करना पड़ेगा???? किंतु फिर भी चुप रहे, हैं क्यों???? प्राचीन काल में गाय-बैल, बछड़े कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सहयोगी थे किंतु अब कृषि के यंत्रोंकरण के बाद नहीं?? बछड़े व बाखड़ी गाय पर कोई किसान, पशु पालक क्यों खर्चा करें??

अब परबतसर के प्रसिद्ध मेले में कितने बैलों की खरीदी होती है???? कृषि यंत्रीकरण के बाद हम सब को गाय

के नाम पर भावनाओं के आधार पर नहीं धरातलीय आधारों पर निर्णय करने चाहिए।

न्याय व्यवस्था पर चर्चा होते होते चर्चा गया, गोशालाओं पर चली गई। एक सज्जन में इसे मोड़ा और मंहंगी होती न्याय व्यवस्था की बात चलाई। एक अथेड़ उम्र वाले सज्जन में यों कहा कि पहले लोग यों कहते थे कि जिस घर जाए उसकी तो बर्बादी तय है। अर्थात मुकदमा लड़ना मंहगा होता है। यह वर्षों से लोग जानते हैं। दूसरे सज्जन ने कहा भाई वकील इतने मंहगे हो जाए कि आम आदमी के लिये अच्छा पैरवीकार लेना दुस्वप्न हो जाए, यह तो ठीक नहीं। फिर तो लोग सही ही कहते हैं न्याय खरीद अमीर ही प्राप्त कर सकते है या यह कर सकते हैं, जैसा आजकल आम आदमी रूटीन में कहने लगा।

एक कानून की पढ़ाई करने वाला नवयुवक भी ताप सेक रहा था बोला कि अगर बड़े न्यायालय चाहें तो एक एक फैसले से हजारों मुकदमों का फैसला एक साथ कर सकते हैं। जैसे नीचे के न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक दसियां हजार जमानत अर्जियां वर्षों से लंबित है जबकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं अनेक बार कह चुका की जमानत अधिकार है जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट जमानत अर्जी में 1, 2, 5, 10 जो भी शर्तें लगानी हों वे स्पष्ट लिखदे और अधीनस्थ समस्त न्यायालयों को आदेश दे की उनके फैसले के अनुसार समस्त पेंडिंग बेल अर्जियों को 1, 2 माह में रिव्यू करे और उनके आदेश के अनुसार जिनमें जमानत दी जा सकती है उनमें जमानत दे और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों को पालना रिपोर्ट भेजे।

एक-दूसरे नवयुवक का कहना था कि जब सुप्रीम ने, जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी तो फिर अभियुक्त को जेल में क्यों रखा जाए??? अनुसंधान पूर्ण होने का अर्थ है कि पुलिस समस्त लिखित, मौखिक साक्ष्य एकत्र कर चुकी, उसे अब कोई आगे जांच नहीं करनी तो फिर जेल में रखने का क्या औचित्य?? जो नजीरों कोर्ट में पेश होती है उन्हें यातो मानी जाए या पूर्ण विवेचना के आधार पर अमान्य किया जाए केवल तथ्य भिन्न का रूटीन जांच कर नजरअंदाज नहीं की जा सकेगी, इस पर सख्त आदेश जारी हो।

इसी प्रकार के सिविल, सेवा संबंधित, राजस्व आदि क्षेत्रों के कई कानूनी मसले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सिद्धांत तय कर चुका किंतु फिर भी केसेज घूम फिर के उच्च न्यायालयों में पहुंच जाते हैं क्यों???

तथ्य भिन्न का एक ऐसा वाक्य, तर्क है जिस से किसी भी पुरानी नज़र को बेअसर कर दिया जाता हो। इस प्रकार की अपील, पिटिशन आदि को एक साथ सुना जाए, निर्णय किया जाए जिनमें कानूनी आधारों की पुनर्समृत कराए जाए और

अधीनस्थ न्यायालयों को उन आधारों के आधार रिव्यू के लिए आदेशित करे। अगर कोई नजीर लागू नहीं होती तो उस पर यह विवेचना कर ही रिव्यू निस्तारित हो की इन इन कारणों से व नजारे लागू नहीं होती।

काफी समय बीत चुका था, एक सज्जन में कहा अब बंद करो यह सब ओर सो जाओ किंतु चलते चलते एक युवक में प्रश्न दाग दिया कि आज के युग में हर घर में रेडियो, टीवी उपलब्ध है तो यह राजनीतिक पार्टियां करोड़ न करोड़ रुपए खर्च कर लाखों न लाख लोगों की भीड़ क्यों इक्कटी कर यातायात व दूसरी सेवाओं को दुष्प्रभावित क्यों करती हैं?? नेता लोग टीवी पर अपना भाषण दे दें, उनके कार्यकर्ता घर गांव स्तर पर स्क्रीन लगा कर सीधा प्रसारण लोगों को सुना दें। सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते है तो फिर यह हजारों करोड़ रुपए का प्रचार क्यों??? साथ बैठे सज्जन में कहा क्योंकि उनके पास पैसा है। सैकड़ों, हजारों खर्चें वाले हर बड़े ठेके में सत्ताधारी पार्टियों को भारी राशि मिलती है। उसका उपयोग चुनाव के लिए भीड़ इक्कटी करने में किया जाता है। भीड़ के लिए परिवहन, खाना आदि की व्यवस्था और करोड़ों रुपए की स्टेंजे तैयार की जाती है। चुनाव के समय नेता लोग हवाई जहाजों में ऐसे उड़ते नजर आते हैं जैसे शहर में स्क्वटर सवारियां दिखती है, न्याय करते क्या है तू-तूं.. मैं ही मैं, तुम काले हम सफेद घने!!!!

बुजुर्ग लोग एक एक कर जाने लगे। कुछ युवा लोगों के हल्की थी कि सूचना के अधिकार, अत्रा हजारों आंदोलन – भ्रष्टाचार – लोकपाल – सूचना आयुक्त दी, दल बदल रहे। थी कानून जिस से लोकसभा, विधान सभा में बहस के दौरान भी सांसद विधायक अपना स्वतंत्र विचार व्यक्त नहीं कर सकते, 2 जी व कोयला घोटाला आदि पर भी चर्चा करो किंतु वे बहुमत के आगे हार गए और चौपाल बंद हुई।

जाते-जाते एक सज्जन बोला सूचना के अधिकार से अधिकार गायब हो गया और सूचना मनसुखी से हो गई। रही बात 2, कोयला खनन घोटाले की सो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। केवल भ्रम फैला कर जन भावनाएं भड़काई गई। दूसरा जो अभी तक मोबाइल देखने में ही व्यस्त था, जोर देकर बोला, कुछ भी कह लों किंतु हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा वक्त कोई है ही नहीं। विषय चाहे शासन की नीतियों का हो, मंदिरों-मस्जिदों का हो, धार्मिक ग्रंथों का हो, परीक्षार्थियों को टिप्स देने का हो, नई योजनाएं जनता को आसानी से याद रहे तो उनका संक्षिप्त नाम देना हो अन्य में उनके भाषण बेमिसाल। अब देखो आज ही सोमनाथ में भगवान भीमनाथ पर क्या भाषण दिया, लोग दलों दलों अंगुली दबाने लगे --ऐसी तार्किक व्याख्या तो बड़ा से बड़ा पंडित भी नहीं कर सकता। जय राम-जो।

–**महावीर सिंह, पूर्व आईएएस**

भाषा ही समाज को जिंदा रखती है

राजस्थानी भाषा मान्यता के उजले दिन आ रहे हैं



राजेन्द्र जोशी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने बच्चों की तरक्की के लिए जो भाषा बोलनी पड़े, सीखनी पड़े, बोलने व सीखने के लिए जितनी भी भाषा सीखे, कोई विरोध नहीं है, मगर घर में बच्चों के साथ मारवाड़ी व हिंदी में ही बात करें। स्वभाषा में बात करेंगे, सिखाएंगे तो बच्चे मारवाड़

राजस्थानी भाषा दुनिया के किसी भी देश से अछूती नहीं है जिस मारवाड़ी भाषा की गृहमंत्री बात कर रहे हैं वह मारवाड़ी दुनिया भर में अपने व्यापार के माध्यम से दुनिया की सेवा कर रहे हैं। और वह सभी अपने घरों में राजस्थानी भाषा बोलते हैं और राजस्थानी संस्कृति के साथ प्यार करते हैं।

जब भारत सरकार द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होगी। गृहमंत्री जी की जिम्मेदारी भी है कि वह भाषाओं को संरक्षण दे, भाषाओं को जिंदा रखने में सरकार खुद आगे आए ,किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का जिमा गृह मंत्रालय का है।

बीकानेर में पारा 24 डिग्री पहुंचा, सर्दी से राहत

दिन में ठंड कम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदल सकता है मौसम

- पिछले दो दिन से बीकानेर में सर्दी का असर लगातार कमजोर बना हुआ है, सुबह और दिन के समय गर्माहट महसूस की जा रही है, जबकि रात में हल्की ठंड बनी हुई है
- अगले कुछ दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, फिलहाल सर्दी से राहत बनी रहेगी, हालांकि यदि आने वाले दिनों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो तापमान में गिरावट आ सकती है

असर काफी कम रहा। चटक धूप खिली रहने से लोगों को सर्दी से राहत मिली और दिन में गर्माहट का एहसास

हुआ। सुबह के समय मौसम पूरी तरह साफ रहा। शहर में कोहरे की स्थिति बिल्कुल नहीं रही, जिससे

विजिलेंसिटी सामान्य बनी रही। इसका असर लोगों की आवाजही और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी दिखा, जो बिना किसी बाधा के सामान्य रूप से चलती रही।

पिछले दो दिनों से बीकानेर में सर्दी का असर लगातार कमजोर बना हुआ है। सुबह और दिन के समय गर्माहट महसूस की जा रही है, जबकि रात में हल्की ठंड बनी हुई है।

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। फिलहाल सर्दी से

राहत बनी रहेगी। हालांकि यदि आने वाले दिनों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है, तो तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है।

पिछले पांच दिनों के तापमान पर नजर डालें तो बीकानेर में सर्दी का असर धीरे-धीरे कमजोर होता दिखाई दिया है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे सुबह और रात की ठंड पहले के मुकाबले कम महसूस हुई। वहीं अधिकतम तापमान बढ़ने से दिन में धूप की गर्माहट साफ नजर आई।